



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1443]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2018/चैत्र 22, 1940

No. 1443]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2018/CHAITRA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

(आयकर)

का.आ. 1589(अ).—जबकि, आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कज़ाख़स्तान गणराज्य की सरकार के बीच 9 दिसंबर, 1996 को नई दिल्ली, भारत में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के साथ अभिसमय के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली, भारत में 6 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसाकि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में दिया गया है और जो इसके बाद कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित है;

और जबकि, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 12 मार्च 2018 है, जो कि कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XV के पैराग्राफ 1 के अनुसार, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राजनयिक चैनलों से प्राप्त अपेक्षित आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XV के पैराग्राफ 2 के खंड (क) में व्यवस्था है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के उपबंध, भारत में, उस वर्ष जिसमें वह उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध
दिनांक 09 दिसंबर, 1996 को दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल सहित
आय पर तथा पूंजी पर
करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
तथा
वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार
तथा
कजाकस्तान गणराज्य की सरकार
के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा कजाकस्तान गणराज्य की सरकार,

दिनांक 09 दिसंबर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल सहित आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कजाकस्तान गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय (इसके पश्चात् इसे अभिसमय कहा जायेगा) में संशोधन करने के लिए इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा कजाकस्तान गणराज्य की सरकार निम्नानुसार

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद I

अभिसमय के अनुच्छेद 2 का पैराग्राफ 3 (सम्मिलित कर) का उप पैरा (क) निम्नलिखित उप पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“(क) कजाकस्तान गणराज्य में:

- (i) कॉर्पोरेट आयकर;
- (ii) वैयक्तिक आयकर;
- (iii) वैध व्यक्तियों तथा वैयक्तिकों की संपत्ति पर कर;

(इसके बाद इसे “कजाकस्तानी कर” कहा जाएगा);”

अनुच्छेद II

1. अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (सामान्य परिभाषा) के उप पैरा (क) के खण्ड (i) को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“(i) “कजाकस्तान” का अर्थ कजाकस्तान गणराज्य से है और जब भौगोलिक परिदृश्य में प्रयोग किया जाये तो शब्द “कजाकस्तान” में कजाकस्तान गणराज्य के प्रादेशिक राज्य तथा क्षेत्र शामिल होते हैं जहां कजाकस्तान अपने विधान तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने सार्वभौमिक अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;”

2. अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जायेगा:

“उस संविदाकारी राज्य के लागू कर कानूनों के अन्तर्गत कोई अर्थ उस संविदाकारी राज्य के दूसरे कानूनों के अन्तर्गत शब्द को दिये गये अर्थ के ऊपर मौजूद रहे।”

अनुच्छेद III

1. अभिसमय का अनुच्छेद-4 (निवासी) का पैराग्राफ-1 निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“1. अभिसमय के प्रयोजनार्थ, शब्द "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसमें अपने निवास, आवास, सम्मिलित होने के स्थान, प्रबंधन के स्थान अथवा इसी प्रकृति के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाये जाने के लिए उत्तरदायी है और इसमें वह संविदाकारी राज्य तथा कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल होता है। तथापि, इस शब्द में वह कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो उस संविदाकारी राज्य में केवल स्रोत से आय तथा उसमें स्थित पूंजी से उस संविदाकारी राज्य में कर देने के लिए उत्तरदायी है।”
2. अभिसमय के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह माना जाता है कि वाक्यांश “सम्मिलित होने का स्थान” में “पंजीकरण का स्थान” शामिल होता है।

अनुच्छेद IV

1. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3(स्थायी स्थापना) के उप पैरा (ख) में “12 माह से अधिक” संख्या तथा शब्दों को “6 माह से अधिक” संख्या तथा शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
2. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के उप पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ (ग) जोड़ा जायेगा:

“(ग) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहाँ जहाँ उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए संविदाकारी राज्य के भीतर जारी रहते हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।”
3. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि जहाँ संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम जो कि अन्य संविदाकारी राज्य में सेवाएं निष्पादित कर रहा है, समय अवधि के दौरान, दूसरे उद्यम से संबद्ध जो कि उसी परियोजना या संबंधी परियोजनाओं के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में यथेष्ट रूप से सदृश सेवाएं निष्पादित करता है व एक या अधिक व्यष्टियों के द्वारा जोकि उस दूसरे संविदाकारी राज्य में हैं और सेवाएं निष्पादित कर रहे हैं, की स्थिति में प्रथम-वर्णित उद्यम को उस अवधि के दौरान इन व्यष्टियों के द्वारा समरूप परियोजना या संबंधी परियोजनाओं के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाएं समझा जाएगा। पूर्ववर्ती वाक्य के प्रयोजनार्थ कोई किसी उद्यम से दूसरे उद्यम के संयुक्त होगा यदि एक दूसरे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है, या दोनों समरूप व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से नियंत्रित होता है, जो कि इसके बगैर है कि ये व्यक्ति चाहे किसी एक संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं या नहीं हैं।

अनुच्छेद V

अभिसमय के अनुच्छेद 7(कारोबारी लाभ) के पैराग्राफ 6 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ 7 जोड़ा जाएगा:

- “7. जहाँ तक एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहाँ इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी; तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।”

अनुच्छेद VI

अभिसमय के अनुच्छेद 9 (संबद्ध उद्यम) में, विद्यमान पाठ को पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और ऐसा क्रमांकण करने के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा।

- “2. जहाँ संविदाकारी राज्य में उस संविदाकारी राज्य के उद्यम में लाभ शामिल हैं और तदनुसार कर लगाए जाते हैं- लाभ- जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में कर प्रभाजित किया गया है और शामिल लाभ ऐसे लाभ हैं जिन्हें प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य के उद्यम में प्राप्त किया जाएगा अगर दो उद्यमों के बीच की

गई शर्तें वें रही थी जोकि स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनी हुई हैं, तब वह दूसरा संविदाकारी राज्य उन लाभों पर इसमें प्रभारित कर की राशि का उपयुक्त समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।”

अनुच्छेद VII

अभिसमय के अनुच्छेद 11 (ब्याज) के पैराग्राफ 6 में, शब्दों “वह राज्य स्वयं, एक राजनैतिक उप-मंडल, एक स्थानीय प्राधिकारी या” को निकाल दिया जाएगा।

अनुच्छेद VIII

अभिसमय के अनुच्छेद 12 (रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) के पैराग्राफ 5 के पहले वाक्य को निम्नलिखित वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा, यदि अदाकर्ता उस संविदाकारी राज्य का निवासी है।”

अनुच्छेद IX

अभिसमय के अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 1 (प्रोफेसर, शिक्षक और अनुसंधान वृत्ति) में, शब्दों “उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष” को उसके “प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद X

अभिसमय के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ 3(अन्य आय) को निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।”

अनुच्छेद XI

अभिसमय के अनुच्छेद 27 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 27

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे स्पष्टतः संगत (दस्तावेज सहित) या संविदाकारी राज्यों की ओर से अधिरोपित प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों से संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन या इनके राजनैतिक उप मण्डल, केन्द्रीय या स्थानीय प्राधिकरण, जहां तक इसके तहत कराधान अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। सूचना का आदान-प्रदान इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा सीमित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत प्राप्त किसी सूचना को उसी तरह गुप्त के रूप में माना जाएगा जैसे कि उस संविदाकारी राज्य के घरेलू कानूनों के तहत सूचना प्राप्त होती है और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, या उपर्युक्त की चूक में संदर्भित करों के संबंध में अपीलों के निर्धारण के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण या प्रवर्तन या अभियोजन से संबंध (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय सहित) व्यक्तियों या प्राधिकारियों को ही प्रकट की जाएगी। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीया अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद XII

अभिसमय के अनुच्छेद 28 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 28

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराने इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 या 4 के उद्देश्यों के लिए स्वीकृत राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में ऐसे कारणों की प्रकृति द्वारा उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे को लागू समय-सीमाओं या प्रदत्त किसी प्राथमिकता के अध्यधीन नहीं होगा। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

7. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या

ख) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत, संरक्षण के उपाए करें ताकि संग्रहण सुनिश्चित हो सकें।

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद XIII

अभिसमय के अनुच्छेद 28 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़ा जाएगा।

“अनुच्छेद 28क

लाभों का परिसीमन

1. इस अभिसमय के प्रावधान किसी भी मामले में किसी संविदाकारी राज्य को घरेलू कानूनों के उपबंधों को लागू करने और कर परिहार या अपवंचन, चाहे इस तरह वर्णित हैं या नहीं, के विरुद्ध उपाय करने से निवारण नहीं करेंगे।

2. संविदाकारी राज्य का निवासी इस अभिसमय के लाभों का हकदार नहीं होगा यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जैसे इस अभिसमय के लाभों को लेने के लिए इस प्रकार का कार्य मुख्य उद्देश्य था या इनमें से यह कोई एक मुख्य उद्देश्य था।

3. इस अभिसमय के तहत लाभ किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे जोकि अन्य संविदाकारी राज्य या इसमें स्थित पूंजी की मदों से प्राप्त आय की मदों का हितकारी स्वामी नहीं है।

अनुच्छेद XIV

9 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल में, निम्नलिखित वाक्यों को निकाल दिया जाएगा।

“अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में;

किसी अभिसमय के अन्तर्गत अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संबंध में, भारत गणराज्य और तीसरे राज्य के साथ कजाखस्तान गणराज्य, भारत या कजाखस्तान की सरकारों के बीच तकनीकी सेवाओं के लिए लाभांश (एकल दर) ब्याज, रायल्टी या फीस पर अपना कराधान सीमित करते हैं जोकि आय की उक्त मदों पर इस अभिसमय में प्रदत्त दर या कार्यक्षेत्र से सीमित कमतर दर या अधिक स्कोप है, तब उस अभिसमय में प्रदत्त समरूप दर या स्कोप, आय की उक्त मदों पर करार या प्रोटोकॉल भी इस अभिसमय के तहत लागू होंगे।”

अनुच्छेद XV

1. यह प्रोटोकॉल राजनयिक चैनलों, लिखित अधिसूचनाओं के परवर्ती के माध्यम से पावती की तारीख से प्रवृत्त होगा व इसमें यह सूचित होगा कि इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त करने हेतु अपेक्षित आन्तरिक कार्यविधि को संविदाकारी राज्यों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

2. इस प्रोटोकॉल के उपबंध कार्यान्वित होंगे:

(क) भारत में, किसी वित्तीय वर्ष की शुरूआत में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में या उस तारीख का अनुसरण करते हुए जब यह प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, आगामी अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा इस के बाद; और

(ख) कजाखस्तान में, किसी वित्तीय वर्ष की शुरूआत में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में या कलेण्डर वर्ष का अनुसरण करते हुए जब यह प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अथवा इस के बाद।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, जोकि विधिवत प्राधिकृत हैं ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस अभिसमय अभिन्न अंग होगा।

नई दिल्ली में वर्ष 2017 के जनवरी माह के 6 तारीख को हिन्दी, कजाक, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

(सुशील चंद्रा)

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

कजाखस्तान गणराज्य की

सरकार की ओर से

(बुलात सरसेनबायेव)

भारत में कजाखस्तान गणराज्य के राजदूत

[अधिसूचना सं. 20/2018/फा. सं. 501/06/94-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 12th April, 2018**(INCOME TAX)**

S.O. 1589(E).—Whereas the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakhstan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital with Protocol signed at New Delhi, India on the 9th December 1996, was signed at New Delhi, India on the 6th January, 2017, as set out in the annexure appended to this notification and hereinafter referred to as the said amending Protocol;

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 12th day of March, 2018, being the date of receipt, through diplomatic channels, of later of written notifications informing in regard to the completion of internal procedures required for the entry into force of the said amending Protocol, in accordance with paragraph 1 of Article XV of the said amending Protocol;

And whereas, clause (a) of paragraph 2 of Article XV of the said amending Protocol provides that the provisions of the said amending Protocol shall have effect in India in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which this Protocol enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION****AND****THE PREVENTION OF FISCAL EVASION****WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL****WITH PROTOCOL SIGNED****AT****NEW DELHI****ON****9TH DECEMBER, 1996**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakhstan,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakhstan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital with Protocol signed at New Delhi on 9th December 1996 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Have agreed as follows:

Article I

Sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 2 (Taxes covered) of the Convention shall be replaced by the following sub-paragraph:

- “(a) in the Republic of Kazakhstan:
- (i) the corporate income tax;
 - (ii) the individual income tax;
 - (iii) the tax on property of legal persons and individuals;
- (hereinafter referred to as "Kazakhstan tax");”.

Article II

1. Clause (i) of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 3 (General definitions) of the Convention shall be replaced by the following clause:

“(i) "Kazakhstan" means the Republic of Kazakhstan and, when used in a geographical sense, the term "Kazakhstan" includes the state territory of the Republic of Kazakhstan and areas where Kazakhstan exercises its sovereign rights and jurisdiction according to its legislation and international law;”.

2. The following sentence shall be added at the end of paragraph 2 of Article 3 of the Convention:

“Any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.”.

Article III

1. Paragraph 1 of Article 4 (Resident) of the Convention shall be replaced by the following paragraph:

“1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof.

This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State or capital situated therein.”.

2. With reference to paragraph 1 of Article 4 of the Convention, it is understood that the phrase “place of incorporation” includes “place of registration”.

Article IV

1. In sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 5 (Permanent establishment) of the Convention, the number and words “more than 12 months” shall be replaced by the number and words “more than 6 months”.

2. After sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 5 of the Convention, the following paragraph (c) shall be added:

“(c) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period.”.

3. With reference sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 5 of the Convention, it is understood that where an enterprise of a Contracting State that is performing services in the other Contracting State is, during a period of time, associated with another enterprise that performs substantially similar services in that other Contracting State for the same project or for connected projects through one or more individuals who are present and performing such services in that other Contracting State, the first-mentioned enterprise shall be deemed, during that period of time, to be performing services in the other Contracting State for that same project or for connected projects through these individuals. For the purpose of the preceding sentence, an enterprise shall be associated with another enterprise if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by the same persons, regardless of whether or not these persons are

residents of one of the Contracting States.

Article V

After paragraph 6 in Article 7(Business profits) of the Convention, the following paragraph 7 shall be added:

“7. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.”.

Article VI

In Article 9 (Associated enterprises) of the Convention, the existing text shall be numbered as paragraph 1 and after such numbering, the following paragraph shall be added:

“2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.”.

Article VII

In paragraph 6 of Article 11 (Interest) of the Convention, the words “that State itself, a political subdivision, a local authority or” shall be deleted.

Article VIII

The first sentence of paragraph 5 of Article 12 (Royalties and fees for technical services) of the Convention shall be replaced by the following sentence:

“Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State.”

Article IX

In paragraph 1 of Article 21 (Professors, teachers and research scholars) of the Convention, the words “two years from the date of his arrival” shall be replaced by “two years from the date of his first arrival”.

Article X

Paragraph 3 of Article 22 (Other income) of the Convention shall be replaced by the following paragraph:

“3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.”

Article XI

Article 27 of the Convention shall be replaced by the following Article:

“Article 27

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions, central or local authorities, insofar as the taxation

thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by articles 1 and 2 of this Convention.

2. Any information received under paragraph 1 of this article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of this article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information (including documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”.

Article XII

Article 28 of the Convention shall be replaced by the following Article:

“Article 28

Assistance in the collection of taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by articles 1 and 2 of this Convention. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this article.

2. The term “revenue claim” as used in this article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions, or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws

applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 of this article, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 of this article shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 of this article shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State. Nothing in this article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 of this article and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be:

a) in the case of a request under paragraph 3 of this article, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4 of this article, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”.

Article XIII

After Article 28 of the Convention, the following Article shall be added:

“Article 28A

Limitation of benefits

1. The provisions of this Convention shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic law and measures against tax avoidance or evasion, whether or not described as such.

2. A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of this Convention if its affairs were arranged in such a manner as if it was the main purpose or one of the main purposes to take the benefits of this Convention.
3. The benefits under this Convention shall not be granted to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived from the other Contracting State or of the items of capital situated therein.”.

Article XIV

In Protocol signed on the 9th December, 1996, the following sentences shall be deleted:

“With reference to Articles 10, 11 and 12;

In respect of Articles 10, 11 and 12 if under any Convention, Agreement or Protocol between the Governments of the Republic of India and the Republic of Kazakhstan with a third State, either India or Kazakhstan limit their taxation on dividends (single rate) interest, royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention.”.

Article XV

1. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt, through diplomatic channels, of the later of written notifications, informing that the internal procedures required for the entry into force of this Protocol have been completed by the Contracting States.
2. The provisions of this Protocol shall have effect:

- (a) in India in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which this Protocol enters into force; and
- (b) in Kazakhstan in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which this Protocol enters into force.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto have signed this Protocol which shall be an integral part of the Convention.

Done in duplicate at New Delhi, this 6th day of January, 2017 in the Hindi, Kazakh, English and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, English text will prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

(Sushil Chandra)
Chairman,
Central Board of Direct Taxes

**For the Government of the
Republic of Kazakhstan**

(Bulat Sarsenbayev)
Ambassador of the Republic
of Kazakhstan to India

[Notification No.20/2018/F.No.501/06/94-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.